56

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1169-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-11-2012 - पारित व्दारा - तहसीलदार हनुमना जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 20 अ-74/2012-13

रघुवॅश प्रसाद पुत्र इन्द्रमणि प्रसाद ओझा
ग्राम मितिरपुरा तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- राजमणि पुत्र शिवशॅकर राम
ग्राम मिसिरपुरा तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश
2- रामलखन ओझा पुत्र इन्द्रमणित प्रसाद ओझा
ग्राम मिसिरपुरा तहसील हनुमना जिला रीवा
3- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर रीवा ---अनावेदकगंण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जयप्रकाश मिश्रा)
(अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक श्री एस.एन.शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार हनुमना जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ-74/2012-13में पारित आदेश दिनांक 22-11-12 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में दिनांक 25-3-2014 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदक क्रमांक-1 ने तहसीलदार हनुमना

को आवेदन देकर मांग रखी कि तत्का. तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण क्रमांक 11 अ-6-अ/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 20-5-2005 से ग्राम सोनरवना की भूमि सर्वे क्रमांक 189/3 रकबा 3-37 एकड़ पर भूल से दर्ज हुई आवेदक के नाम को विलोपित करने एंव उसका नाम दर्ज करने के आदेश दिये है परन्तु इस आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में नहीं किया गया है इसलिये अमल कराया जावे। तहसीलदार हनुमना जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 20 अ-74/2012-13 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22-11-12 पारित किया एंव आदेश दिये कि यदि आदेश दिनांक 20-5-2005 का अमल अभिलेख में नहीं हुआ, तब अमल किया जाय। तहसीलदार के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 20 अ-74/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22-11-12 तथा प्रकरण क्रमांक 11 अ-6-अ/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 20-5-2005 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत पारित किये है जिनके विरूद्व प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी।

म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को-आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।

आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व

मण्डल में सुनी जावे। फलस्वरूप तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन सहित अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर